न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : डॉ. रविन्द्र गोस्वामी, I.A.S.

प्रकरण संख्या 39/2023
जीसीएमएस नं0 –2023/152

हरिप्रसाद आत्मज श्री रामरतन जाति सेन निवासी किशनपुरा तहसील सांगोद उचित मूल्य दुकान पोस कोड 6891 ग्राम पंचायत किशनपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा

–अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर रसद कोटा

–अप्रार्थी

अपील बनाराजी आदेश न्यायालय जिला रसद अधिकारी कोटा दिनांक 5.1.2023 विभागीय प्रकरण संख्या 3/2022 सरकार जरिये श्रीमति अदिति जगरवाल प्रवर्तन अधिकारी बनाम हरिप्रसाद पोस कोड सं0 6891 प्रार्थना पत्र संख्या 672/2003 किशनपुरा सांगोद अन्तर्गत धारा

उपस्थितः–
1. श्री केसरीलाल बैरवा, अभिभाषक अपीलांट
2. पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनांकः– 19.2.2024

1. प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी कोटा द्वारा अपने विभागीय प्रकरण संख्या 3/2022 उनवान सरकार जरिये अदिति जगरवाल प्रवर्तन अधिकारी बनाम हरिप्रसाद सेन उचित मूल्य दुकानदार में निर्णय दिनांक 6.01.2023 से अपीलांट श्री हरिप्रसाद सेन, उचित मूल्य दुकानदार पोस कोड–6891 प्राधिकार पत्र संख्या 672/2003 किशनपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा, का उचित मूल्य दुकान का लाईसेंस निरस्त किया गया है ।
2. उक्त आदेश की अप्रसन्नता में यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 20.07.2023 को पेश कर कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिये बगैर लाईसेन्स निरस्त किया गया जो सर्वथा प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विरूद्व है । अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर आदेश दिनांक 5.1.2023 निरस्त किया जावें तथा अपीलान्ट का लाईसेन्स बहाल फरमाया जावें ।

जिला कलेक्टर
कोटा

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । वकील अपीलांट एवं पेरोकार रसद उपस्थित । उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

4. वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मेमों में अंकित तथ्यों को ही दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलान्ट को दिनांक 21.2.2022 को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिनांक 28.9.2022 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होने के बारे में सूचित किया गया था जिसकी पालना में अपीलान्ट उपस्थित हुआ तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बताया गया कि जब भी दस्तावेज साक्ष्य या जवाब की आवश्यकता होगी आपको इस कार्यालय द्वारा सूचित कर दिया जावेगा । लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 28.9.2022 के बाद प्रार्थी को बिना कोई सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिये दिनांक 5.1.2023 का आदेश पारित करने में कानूनी त्रुटि की है । प्रार्थी अपीलान्ट के विरूद्व राजनैतिक दुर्भावना से ग्रसित होकर कार्यवाही की जाने इस तथ्य से भी साबित हो जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को दिनांक 21.9.2022 को दिये गये नोटिस में दिनांक 28.9.2022 को उपस्थित होने के लिये सूचित किया था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समय से पूर्व ही दिनांक 21.9.2022 को बिना अपीलान्ट को सुने व पक्ष जाने लाईसेन्स निलम्बित कर दिया जो विधि विरूद्व एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के खिलाफ है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट का लाईसेन्स निलम्बित कर वेकल्पिक व्यवस्था श्री इन्द्रराज नागर उचित मूल्य दुकानदार पोस कोर्ट 29546 ग्राम पंचायत हींगी तहसील सांगोद के साथ की गई जो अपीलान्ट के ग्राम किशनपुरा से पांच किलो मीटर से भी ज्यादा दूर है तथा बीच रास्ते नदी नाला पडता है जिससे ग्रामवासियों को उचित मूल्य की दुकान से मिलने वाले, खाद्यान्न सामग्री लेने में काफी कठिनाईयों एवं समय की बरबादी तथा आर्थिक नुकसान उठाना पडता है । अपीलान्ट व सम्पूर्ण परिवार उचित मूल्य की दुकान पर ही निर्भर है । सम्पूर्ण परिवार के भरण पोषण का एक मात्र साधन दुकान ही है जिसके लाईसेन्स निरस्त हो जाने के कारण सम्पूर्ण परिवार पर रोजी रोटी का संकट हो गया है । जांच के दोरान स्टॉक के भौतिक सत्यापन पर गेहूं व चना कम पाया गया उसका कारण है कि वर्ष 2022 में सांगोद में भयंकर बाढ़ आई थी, जिससे दुकानों में पानी भर जाने से गेहूं व चना खराब होने के कारण मौके पर कम पाया गया है । अपीलान्ट को आदेश जेर अपील के प्रथम जानकारी दिनांक 4.7.2023 को प्रार्थी किसी कार्यवश अधीनस्थ कार्यालय में जाने पर लाईसेन्स निरस्त होने की जानकारी प्राप्त हुई । जिस पर यह अपील प्रस्तुत की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आदेश दिनांक 5.1.2023 निरस्त किया जाकर अपीलान्ट का लाईसेन्स बहाल फरमाया जावें ।

5. पेरोकार रसद द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलांट उचित मूल्य दुकानदार द्वारा उपभोक्ता पखवाड़े में गेहूं का वितरण नहीं करने बायोमेट्रिक सत्यापन फर्जी ट्रांजेक्शन कराने आदि शिकायत प्राप्त होने पर प्रर्वतन अधिकारी द्वारा दिनांक 20.9.2022 को मौके पर जांच की गई, जिसमें अपीलान्ट द्वारा काफी अनियमितताएं पाई गई । उपभोक्ता पखवाडे में गेहूं का वितरण किया जाना नहीं पाया गया तथा अवशेष स्टॉक के भौतिक सत्यापन पर कुल 230.83 क्विंटल गेहूं एवं 30 कि.ग्राम चना कम पाया गया । इस प्रकार उचित मूल्य दुकानदार श्री हरिप्रसाद सेन ग्राम पंचायत किशनपुरा द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 6 एवं उक्त आदेश

जिला कलेक्टर
कोटा

के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त सं0 2,5,7,8,9,11 व 17 (सी) का एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदेश 2001 का स्पष्ट उल्लंघन किया जाने से आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है । अपीलांट उचित मूल्य दुकानदान को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था किन्तु काफी अवसर दिये जाने उपरान्त इनके द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है, जिस पर जिला रसद अधिकारी कोटा द्वारा अपीलांट का प्राधिकार पत्र संख्या 672/2003 की जमा प्रतिभूति राशि जब्तराज की जाकर प्राधिकार पत्र निरस्त किया जा चुका है । अपील आधारहीन होने से निरस्त फरमाई जावें ।

6. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी द्वारा अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र उचित मूल्य दुकानदार कोड–6891 प्राधिकार पत्र संख्या 672/2003 किशनपुरा तहसील सांगोद द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत गेहूं वितरण पखवाड़े में गेहूं का वितरण नहीं करने, भौतिक सत्यापन पर कुल 230.83 क्विंटल गेहूं एवं 30 कि.ग्राम चना कम पाया गया दुकान खुलने व बंद होने का समय एवं सामग्री मूल्य सूची का प्रदर्शित नहीं होने, प्राधिकार पत्र नजरी नक्सा मौके पर प्रस्तुत नहीं किया जाने आदि अनियमितताएं पाये जाने से उचित मूल्य दुकानदार श्री हरिप्रसाद सेन ग्राम पंचायत किशनपुरा द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 6 एवं उक्त आदेश के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त सं0 2,5,7,8,9,11 व 17 (सी) का एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदेश 2001 का स्पष्ट उल्लंघन मानते हुए प्राधिकार पत्र जिला कलक्टर (रसद) कोटा के आदेश कमांक/218 दिनांक हुए आदेश दिनांक 21.9.2022 से अग्रिम आदेशों तक प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया था । तत्पश्चात जिला रसद अधिकारी द्वारा अपीलांट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया तथा काफी मौके दिये जाने उपरान्त नोटिस का जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर विभागीय प्रकरण संख्या 3/2022 निर्णय दिनांक 5.01.2023 से प्राधिकार पत्र संख्या 672/2003 की जमा प्रतिभूति राशि जब्तराज की जाकर प्राधिकार पत्र निरस्त किया जा चुका है । वकील अपीलांट द्वारा अपील में कथन किया है कि उन्हें बिना सुने एवं साक्ष्य एवं जवाब प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया जाकर प्राधिकार पत्र निरस्त किया है जो निराधार है, जिला रसद अधिकारी द्वारा प्राधिकार पत्र निरस्त करने से पूर्व कारण बताओ नोटिस दिनांक 21.9.2022 को जारी किया गया जिसका जवाब दिनांक 5.1.2023 तक भी प्रस्तुत नहीं किया जाने पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है, अपीलांट द्वारा इस अपील में अंकित तथ्य बिना आधार एवं बिना साक्ष्य एवं दस्तावेजों के रखे गये है जो स्वीकार योग्य नहीं है ।

7. परिणामस्वरूप अपीलांट स्वीकार करने के ठोस आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है । जिला रसद अधिकारी कोटा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 5.1.2023 में कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते है । **निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी कोटा को पालनार्थ भेजी जावें ।**

8. निर्णय आज दिनांक 19.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डा. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलेक्टर, कोटा

जिला कलेक्टर
कोटा